P-1 | R.M.M. Law College - Saharsa. Manvendra Mandal Part time Lecturer | Subject - Contract-II Part-II

मान्य अनुसमर्थन की अन्य आवश्यक शर्तें (Essential Conditions for valid Ratification)

① अभिकर्ता को अभिकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए अर्थात् स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए कार्य किया गया हो।

② अभिकर्ता को मालिक के लिए कार्य करना चाहिए। मालिक के नाम से कार्य करना आवश्यक नहीं है बल्कि उसके लिए किया जाना चाहिए।

③ मालिक का विधिक अस्तित्व (existence) होना चाहिए। कार्य ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाना चाहिए जो कार्य किये जाने के समय विधि की दृष्टि से अस्तित्व रखता हो। मालिक, प्राकृतिक व कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है लेकिन संविदा के लिए उसे सक्षम होना चाहिए क्योंकि संविदा अनुसमर्थन द्वारा मान्य होती है जो स्वामी विधि की दृष्टि में सक्षम या अस्तित्व में है ही नहीं वह अनुसमर्थन नहीं कर सकता। जैसे कम्पनी किसी ऐसे कार्य का अनुसमर्थन नहीं कर सकती

P-2 मान्य अनुसमर्थन की अन्य आवश्यक शर्तें
(Essential conditions for valid Ratification)

जो उसके निगमन के पूर्व किया गया हो। अर्थात् जब कोई व्यक्ति है ही नहीं तो उसके लिए कार्य किये जाने का औचित्य भी नहीं होता है।

(4) अनुसमर्थन तथ्य की पूर्ण जानकारी से होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य का अनुसमर्थन करता है तो उसे तथ्यों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जिस मामले के तथ्यों का ज्ञान त्रुटिपूर्ण हो उसका अनुसमर्थन नहीं हो सकता है।

(5) Ratification पूर्ण संव्यवहार का होना चाहिए। केवल लाभदायक भाग का ही अनुसमर्थन नहीं हो सकता। जब अनुसमर्थक संव्यवहार के किसी भाग को अपनाता है तो वह पूर्ण संव्यवहार का अनुसमर्थन माना जायगा।

(6) केवल वैध कार्यों पर संव्यवहारों का अनुसमर्थन हो सकता है, अवैध व अनैतिक कार्यों को अनुसमर्थन द्वारा, वैधता या नैतिकता प्रदान नहीं की जा सकती। यदि अभिकर्ता ने अवैध कार्य कर दिया है तो परिणाम उसे भोगना पड़ेगा।

(7) आरम्भतः शून्य संविदा का अनुसमर्थन नहीं हो सकता है।

(8) Ratification उचित समय के अन्दर होना चाहिए। उचित समय क्या है, यह प्रत्येक तथ्य पर आधारित है यदि संविदा में पालन का कोई समय निश्चित किया गया है तो Ratification उसके अन्दर ही होना चाहिए अन्यथा व्यर्थ होगा। शर्त 8 से सम्बन्धित मेट्रोपोलिटन इसाइलम बोर्ड बनाम किंघम एण्ड सन्स के वाद में प्रतिवादी ने बोर्ड से अण्डे सप्लाई करने की निविदा किया। बोर्ड के अभिकर्ता ने औपचारिक स्वीकृति दी। पूर्ण स्वीकृति बोर्ड द्वारा बाद में दी जानी थी। संविदा का पालन 30 सितम्बर को होना था। उसके पूर्व ही प्रतिवादी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। बोर्ड ने पूर्ण स्वीकृति 6 अक्टूबर को दी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुसमर्थन व्यर्थ था।

(9) अनुसमर्थन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकता है (धारा 197)

(10) ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन नहीं हो सकता है जिससे तृतीय पक्ष को हानि होती है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की ओर से, उसके प्राधिकार के बिना किया गया कोई ऐसा कार्य जो यदि प्राधिकार से किया जाता तो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचाने या पर-व्यक्ति के किसी अधिकार या हित का अन्त करने का प्रभाव रखता, तो

Scanned with CamScanner

P-3 मान्य अनुसमर्थन की अन्य आवश्यक शर्तें
Conditions for Valid Ratification

अनुसमर्थन द्वारा ऐसे प्रभाव रखने वाला, नहीं बनाया जा सकता है।

निम्न परिस्थितियों में अनुसमर्थन नहीं हो सकता:-

① ऐसे व्यक्ति द्वारा अनुसमर्थन नहीं हो सकता जिसका मामले के तथ्यों का ज्ञान त्रुटिपूर्ण है।

② तीसरे व्यक्ति को क्षति पहुँचाने वाला कार्य का अनुसमर्थन नहीं हो सकता है।

③ अनयस्क की संविदा शून्य होती है इसलिए वयस्क होकर अनुसमर्थन नहीं हो सकता।

अनुसमर्थन का प्रभाव (Effect of Ratification)

अनुसमर्थन के पश्चात किया गया कार्य या संविदा, उस व्यक्ति का माना जायगा जिसके नाम से किया गया हो। वह उसी प्रकार से बाध्य होगा जैसा कि मूलतः उसने प्राधिकृत किया था। स्वामी के दायित्व का आकलन मूल संविदा के अनुसार होता है।

Scanned with CamScanner